

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2020—ज्येष्ठ 22, शक 1942

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2020

फा. क्र. 223-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग द्वारा नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत् शासकीय अधिवक्तागण श्री राजेश्वर राव, जबलपुर, श्री अमोल श्रीवास्तव, इन्दौर एवं श्री आदित्य सिंह घुरिया, ग्वालियर को छोड़कर तथा जिन विधि पदाधिकारियों को उनके त्यागपत्र के अनुक्रम में, इस विभाग के आदेश दिनांक 28 मार्च 2020 द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है, को भी छोड़कर महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर/ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत् शासकीय अधिवक्ता जबलपुर श्री जैरी लोपेज एवं शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर श्री सोम मिश्रा को उनके त्यागपत्र स्वीकार कर

तथा शेष समस्त विधि अधिकारियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करता है.

फा. क्र. 1525-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य के प्रतिनिधित्व हेतु नियुक्त विधि अधिकारियों में से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार को उनके द्वारा प्रेषित त्यागपत्र स्वीकार करते हुए एवं निम्नलिखित विधि अधिकारियों:—

#### अतिरिक्त महाधिवक्तागण, नई दिल्ली

1. श्रीमती मधुरिमा मृदुल
2. सुश्री प्रगति नीखरा
3. श्री सुनील फर्नान्डीस
4. श्री अवजीत सिंह

**उप महाधिवक्तागण, नई दिल्ली**

1. श्री विनीत मल्होत्रा
2. सुश्री सुमन रानी
3. श्री संजीव महाजन
4. श्री कुबेर बौद्ध

**उप महाधिवक्तागण, जबलपुर संबद्ध नई दिल्ली**

1. श्री वरुण कुमार चौपड़ा
2. श्री वैभव श्रीवास्तव
3. श्रीमती प्राची मिश्रा

की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उपरोक्त सभी विधि अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है।

फा. क्र. 1525-अ-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर की जाती है :-

**अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली**

1. श्री पी. व्ही. योगेशवरन, अधिवक्ता
2. सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अधिवक्ता

फा. क्र. 2263-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 453-गोपनीय-2020-II-2-9-97, दिनांक 18 मई 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् निम्नानुसार न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी.	सीधी	सीधी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
2	श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ.	झाबुआ	झाबुआ	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
3	श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद की हैसियत से श्री दगडू सिंह चौहान के स्थान पर.

3. श्री जोयदीप रॉय, अधिवक्ता
4. श्री सौरभ मिश्रा, अधिवक्ता
5. श्री धीरेन्द्र परमार, अधिवक्ता

**उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली**

1. श्री व्ही. व्ही. एम. बी. एन. एस. पट्टाभिराम, अधिवक्ता
2. श्री मुकुल सिंह, अधिवक्ता
3. श्रीमती अंकिता चौधरी, अधिवक्ता
4. श्री वीर विक्रान्त सिंह, अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2020

फा. क्र. 2263-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. 2034-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 20 मार्च 2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	श्री अरविंद कुमार गोयल, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री विजय सिंह कावछा के स्थान पर.
5	श्री प्रवीण पटेल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी.	डिण्डौरी	डिण्डौरी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिण्डौरी की हैसियत से कु. प्रतिभा साठवणे के स्थान पर.
6	श्री राजेश कुमार तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.	उमरिया	उमरिया	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया की हैसियत से श्री असरफ अली के स्थान पर.
7	श्री प्रकाश कसेर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.	मण्डला	मण्डला	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला की हैसियत से श्री राजदीप सिंह ठाकुर के स्थान पर.
8	श्री शेख सलीम, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.	राजगढ़	राजगढ़	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ की हैसियत से श्री धर्मपाल सिंह सिवाच के स्थान पर.
9	श्री संदीप शर्मा, बाईसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	भोपाल	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल की हैसियत से श्री आशुतोष मिश्रा के स्थान पर.
10	श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर.	श्योपुर	श्योपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर की हैसियत से श्री अजय सिंह के स्थान पर.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2020

फा. क्र. 1412-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री हरीश चन्द्र पटेल, 13वें व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, ग्वालियर की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2020

फा. क्र. 1431-2020-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, जबलपुर

की सेवाएं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 88-2020-आठ, दिनांक 2 जून 2020 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2020

फा. क्र. 2345-ए-इक्कीस-ब (दो) 2020.—राज्य शासन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में राज्य शासन के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में, शासन के पक्ष समर्थन हेतु अधिवक्ता श्री दिवेश कुमार जैन, अधिवक्ता को स्थायी अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री दिवेश कुमार जैन, अधिवक्ता को रुपये 57,500/- (सत्तावन हजार पांच सौ रुपये) केवल मासिक पारिश्रमिक, वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय नियमानुसार देय होंगे.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई सहमति क्रमांक 2316-प्रस (का)-साप्रवि, दिनांक 23 मई 2020 के परिपालन में, श्री दिवेश कुमार जैन, अधिवक्ता द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर उनके पारिश्रमिक एवं अन्य वास्तविक व्ययों का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 2345-इक्कीस-ब (दो) 2020.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के आदेश दिनांक 8 मार्च 2019 द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में स्थायी अधिवक्ता के रूप में श्री आकाश चौधरी की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## संशोधन

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2020

फा. क्र. 1525-अ-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक, आदेश दिनांक 9 अप्रैल 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए "श्री धीरेन्द्र परमार" के स्थान पर "श्री धीरेन्द्र सिंह परमार" करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2020

क्र. एफ-11-04-2020-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1964 की धारा 3 एवं 16 के अन्तर्गत उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	खरगोन	महेश्वर	स्टेट बैंक के पीछे खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास.	प्राचीन बावड़ी	322/1	31×78 वर्गफीट.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	खरगोन	महेश्वर	पंचमार्ग माली मोहल्ला महेश्वर	प्राचीन बावड़ी	324/2	20×96 वर्गफीट.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	खरगोन	महेश्वर	बड़ढक्कन मंदिर महेश्वर.	प्राचीन बावड़ी	229/2	15×48 वर्गफीट.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	खरगोन	महेश्वर	भेंटलेश्वर महेश्वर.	प्राचीन बावड़ी	113	12×48 वर्गफीट.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	खरगोन	महेश्वर	मेंतवाड़ा रोड पाटीदार धर्मशाला के पास महेश्वर.	प्राचीन बावड़ी	132/1	22×48 वर्गफीट.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

## नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2020

क्र. एफ-5-7-सत्ताईस-दो-2000.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-7-सत्ताईस-दो-2000-474, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2000 जिसे मध्यप्रदेश राज्य की आर एण्ड आर नीति के उपबंधों के अधीन जारी किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

1. खण्ड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“2. प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा सदस्यों की ऐसी संख्या, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, शामिल होगी, जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.”

2. खण्ड 3 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“3. दोनों में से कोई पक्षकार, संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान, एक महीने की अग्रिम में सूचना देकर या उसके बदले में एक महीने के वेतन का भुगतान कर संविदा समाप्त कर सकेगा.”

3. खण्ड 4 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“4. प्राधिकरण का अध्यक्ष एवं सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे.”

4. खण्ड 5 में, शब्द “प्रथम अध्यक्ष के परामर्श से” के स्थान पर, शब्द “मध्यप्रदेश सरकार द्वारा” स्थापित किए जाएं.

5. खण्ड 8 में, शब्द “प्रथम अध्यक्ष के परामर्श से” के स्थान पर, शब्द “मध्यप्रदेश सरकार द्वारा” स्थापित किए जाएं.

No. F-5-7-XXVII-2-2000.—The State Government hereby makes the following amendments, in this Department's Notification No. F-5-7-XXVII-2-2000-474, Bhopal dated 30th March 2000, which was issued under the provisions of R & R Policy of State of Madhya Pradesh, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said Notification:—

1. For clause 2, the following clause shall be substituted, namely:—

“2. The Authority shall consist of a Chairman and such number of Members as deemed necessary, who shall be appointed by the Government of Madhya Pradesh”

2. For clause 3, the following clause shall be substituted, namely:—

“3. Either of the parties may terminate the contract during the period of contract appointment by giving one month's notice in advance or paying one month's salary in lieu thereof.”

3. For clause 4, the following clause shall be substituted, namely:—

“4. The Chairman and Members of the Authority shall be retired Judge of the Supreme Court or the High Court”

4. In clause 5, for the words “in consultation with the first Chairman”, the words “by the Government of Madhya Pradesh” shall be substituted.

5. In clause 8, for the words “in consultation with the Chairman”, the words “by the Government of Madhya Pradesh” shall be substituted”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

पत्र क्रमांक 02-अ-82-2019-20-पीपला-4942

बैतूल, दिनांक 27 मई 2020

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा-12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	पीपला	12.897	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	मैदा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

#### अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे.में
1	2	3	4	5
1	पोलस्या व. झोरे जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/1	0.759	0.759
2	गजरू व. सुखराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/2	1.519	1.519
3	शोभाराम, शिवराम व. गायना झिपरू चरी पिता गायना जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/3	1.518	1.518
4	काडमा व. सुखराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/4	1.519	1.519
5	सीताराम व. झोरे जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/5	0.759	0.759
6	गिरधरराव व. आनंदराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	222	1.619	1.619
7	रामरात्र पुत्री गन्नू, सुला बे. किशनराव, दीपक पुत्र सीताराम, दिलीप पुत्र सीताराम संदीप पुत्र सीताराम, अंकित पुत्र सीताराम, अमीत पुत्र सीताराम, विमला पुत्री सीताराम आशा पुत्री सीताराम उषा पुत्री सीताराम दीपिका पुत्री सीताराम निशा पुत्री सीताराम जगदीश पुत्र किशनराव, अनिता पुत्री सीताराम यशवंत पुत्र किशनराव, बंसत पुत्र किशनराव, जगन पुत्र किशनराव, संजय पुत्र किशनराव राजेश पुत्र किशनराव सावित्री बे. सीताराम, कमलती बे. सीताराम जाति मेहरा सा देह भूमिस्वामी	223/1	3.586	3.586

8	रूचु पुत्री गाजरू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	223/2	1.012	1.012
		223/3	0.364	0.364
		223/4	0.141	0.141
		223/5	0.101	0.101
योग:-			12.897	12.897

1. चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



पत्र क्रमांक 04-अ-82-2019-20-मैदा (खापा)-4945

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा-12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	भैसदेही	मैदा (खापा)	57.088	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	मैदा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

#### अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे.में.
1	2	3	4	5
1	चुन्नी पुत्र काडमा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	63 78, 79 84/2,	0.170 1.497	0.170 1.497
2	बिसराम पुत्र सददू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	80, 84/3 40/1	1.898 0.877	1.898 0.877
3	भवीचन्द मुग्या उर्फ फूलचंद व मयाराम कल्लो सरस्वती नान्ही पिता मयाराम जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	81 84/4 83	0.818 1.275	0.818 1.275
4	हिरू बे रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/2	0.769	0.769

5	मिश्रीलाल व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/1 क	0.384	0.384
		61/2	0.075	0.075
		58/1 क	0.050	0.050
		37	3.618	3.618
6	नत्थू व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/1 ख	0.384	0.384
		58/1 ख	0.051	0.051
7	दौलत व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/1 ग	0.385	0.385
		58/1 ग	0.051	0.051
8	पंडित व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/1 घ	0.385	0.385
		58/1 घ	0.051	0.051
9	सीताराम, भैयालाल, पुत्र भूता पताली झागराव, मानकू पिता भूता जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	72/2	0.153	0.153
		64	0.089	0.089
		65	0.109	0.109
		43	0.190	0.190
		41/2	0.533	0.533
10	सीताराम पुत्र भूता जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	72/1	2.000	2.000
11	मंगल पुत्र काडमा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	74	0.441	0.441
12	सुखलाल उर्फ नासू सुकलू पुत्र शिवलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	76/2 76/5	0.380	0.380
13	सुकलू पुत्र शिवलाल बुधिया, सोनाय पुत्री शिवलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	40/3/4 29/12/4	0.238	0.238
14	भिलू व. खोगू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	60/1 76/9 76/10	0.020	0.020
		66	0.138	0.138
		40/2	0.831	0.831
15	बिसन, लल्लू किसन पुत्र मंगल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	35/3/2 36/2/2	2.000	2.000
16	मंगराय, बिसराम व. सददू भूरी पिन्नी बान्दरू पुत्री सददू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	60/2	0.016	0.016
		53	0.134	0.134
		52/1	0.028	0.028

17	नाथूराम व. भीका जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	71	0.093	0.093
		36/3 35/3/3	2.000	2.000
		35/3/4 36/4/	1.822	1.822
		35/3/1 36/1	1.648	1.648
18	मनको पुत्री भूता जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	70	0.089	0.089
19	तिमाजी रामाजी व. बालाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	69	0.138	0.138
20	भूता रामसू व. तुकाराम मुगनी पुत्री तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	67	0.178	0.178
21	सुरेश व. भवीचंद शिवकली प्रमिला व. भवीचंद कल्लो, सरस्वती नान्ही पिता मयाराम दिलीप व. मुन्ना रखमी, देवकी पिन्की गुन्नी पिता गुन्ना विमला बे. मुन्ना जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	61/1 62	0.224	0.224
22	हिरू, मीरा बे. रघुनाथ, कैलाश माधो, सहादेव, वासुदेव गजानंद, सुनील व. रघुनाथ लक्ष्मी संगीता पिता रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	39/2/2	1.133	1.133
23	मीरा बे रघुनाथ, सुनील गंजानद पिता रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	58/2/1	0.050	0.050
24	कैलाश, माधो, सहदेव, वासुदेव पिता रघुनाथ संगीता, लक्ष्मी पुत्री रघुनाथ, हिरू बे. रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	58/2/2	0.116	0.116
25	श्री साधू, बाबू व. भोंदू, मगराय पुत्री भोंदू सीताराम सुखराम, दयाराम व. कल्लू, रूचु रूपाय मिढिया कुंची पुत्री कवल सुखनंदन व. बलीराम चरखाय पुत्री बकीराम चखमाय बे. वेधन्तीराम बति व. रामू काडमी बे. रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	57	0.069	0.069
26	पतोली बेवा साधु, शंकर, मंकर, पिता साधु सोमी पिता साधु जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	56	0.065	0.065
		29/4, 29/13 34/2	1.075	1.075

27	झांगरु पुत्र सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/1	0.018	0.018
		50/5	0.364	0.364
		29/11/1, 48/1, 49/2	0.400	0.400
28	झांगरया व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/3	0.018	0.018
		50/1	0.100	0.100
		50/6	0.364	0.364
		48/2 29/11 49/2	0.500	0.500
29	दुगरया व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/4	0.021	0.021
		50/4	0.507	0.507
		29/11 48/3 49/2	0.700	0.700
30	रामलाल व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/5	0.018	0.018
		50/2	0.100	0.100
		50/7	0.364	0.364
		29/11/2, 48/2, 49/2	0.500	0.500
31	सुखलाल बुकला व. मंगल्या, बुकली पुत्री मंगल्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	54	0.093	0.093
		44	1.477	1.477
32	सुखलाल पुत्र शिवलाल सोनाय, बुधिया पुत्री शिवलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	52/2	0.029	0.029
		29/12/1 40/3	0.237	0.237
33	बलराम पुत्र काल्या सुखराम व. भालू जायको पुत्री भालू धामो बे. भालू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	51	0.053	0.053
34	सीताराम व. सखाराम, मिराय बे. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	50/8	0.814	0.814
		29/11/6 48, 49	0.330	0.330
35	सोमजी व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/2	0.018	0.018
		50/3	0.507	0.507
		45/1	0.343	0.343
		45/2	0.343	0.343
		45/3	0.343	0.343
		29/11/5 48 49/2	0.600	0.600

36	सुखराम व. भालू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	45/4	0.343	0.343
37	भैयालाल पुत्र भूता जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	41/1	2.000	2.000
38	सुखचंद पुत्र काशीराम जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	39/1	2.492	2.492
		84/6	0.360	0.360
39	रोहित पुत्र देवराव जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी, सा.केरपानी	39/2/1	0.432	0.432
40	देवराव पुत्र भागूलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	39/2/3	0.864	0.864
41	भूता, रामसू व. तुकाराम मुगनी पिता तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	38/1	1.836	1.836
		84/5	0.022	0.022
42	भूता, पुत्र तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	38/2	1.836	1.836
		84/8	0.023	0.023
43	रामसू पुत्र तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	38/3	1.836	1.836
		84/9	0.023	0.023
44	भूदान यज्ञ मंडल भोपाल	34/1	0.809	0.809
45	भाकलू पुत्र भुलु जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	40/3/2 29/12/2	0.475	0.475
46	डोमा व. शिवराम पिंटू पिता शिवराम, मंटू पिता शिवराम काल्या बे. शिवराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	29/12/3 40/3/3	0.475	0.475
47	भीका व. लाला जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/7	0.306	0.306
48	सुखनंदन व. बलीराम, चरखाय पिता बलीराम जसमाय बे. बलीराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/4	1.092	1.092
49	बिरजूझगराय बे. मंगल, बिहारी, सूरज, गोविन्दा पुत्र मंगल, शांता, मांता, कांता पुत्री मंगल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/3	1.092	1.092
50	साधु, बातू व. भोदू मंगराय पुत्री भोदू सीताराम, सुखराम, दयाराम व. कल्लू, रूचु, रूपाय मिठिया, कुंची, पुत्री कल्लू, सुखनंदन, व. बलीराम, चरखाय पुत्री बलीराम, चखमाय बे. बलीराम बति व. रामू काडमी बे. रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	32	0.575	0.575
		29/3, 30 84/1/ख 84/1/ग 84/1/घ	0.258	0.258

51	दयाराम / कल्लू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/5/2 35/2/2 35/4/2	1.020	1.020
52	सुखराम / कल्लू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/5/3 35/2/3 35/4/3	0.680	0.680
53	सीताराम, दयाराम, सुखराम व. कल्लू कज्जू, रुपाय मिराय कुची पुत्री कल्लू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/5/1 35/2/1 35/4/1	0.340	0.340
योग:-			57.088	57.088

1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, उक्त भूमि के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विस्तापन होना है, जिस बाबत पृथक से कार्यवाही आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित की जावेगी। धारा-11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 5-अ-82-2019-20-खापा-4947

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013. (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा-12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	भैसदेही	खापा	48.512	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

## अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
1	2	3	4	5
1	सूरज ढिमरू लिम्बा व. जोन्दू जिकोय, फोन्दे पिता जोन्दू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	87/2	0.061	0.061
		16/3	0.045	0.045
		16/5, 45	0.142	0.142
		46, 47/2	0.479	0.479
2 ए	खुडडा व. फाटू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	87/3	0.405	0.405
		87/4	1.600	1.600
2 बी	खुडडा व0 फाटू, रूचु बेवा फाटू जाति कोरकू सा. देह भूमि स्वामी	43/2	0.061	0.061
		72	0.061	0.061
		16/2	0.688	0.688
		16/4		
		40/3	0.200	0.100
		62/4	0.034	0.034
		63/4	0.008	0.008
		63/5		

-2-

3	शांता जो रामप्रसाद, जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	87/5	0.463	0.463
		62/2 63/3	0.038	0.038
4	मगराय बे. गेन्दा, अनिता उंची शकुन्तला ना.बा. पुत्री गेन्दा संरक्षक मगराय जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	36/1	0.459	0.075
		29/8, 32/1	0.785	0.785
		73/1	0.075	0.075
5	कैजा व. हिराजी बुकली बे. हिराजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	31/3 32/2	0.785	0.785
		35/2	0.809	0.809
		73/2	0.075	0.075
		35/3	1.214	1.214
6	गजेसिंग व. गेन्दा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	35/1	1.627	1.627
7	सूरजू व. जोधू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/1	1.284	1.284
8	सददू व. सरजू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/2	1.180	1.180
9	ढिमरा व. जोधू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/3	1.619	1.619
10	लिम्बा व. जोधू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/4	1.619	1.619
11	कून्ना व. फुन्दाजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/1	1.441	1.441
		74/1	0.049	0.049
		60/6	0.008	0.008
12	नन्दू व. परस्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/2/क	1.180	1.180
13	नन्दा व. परस्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/2/ख	1.180	1.180
14	चन्दू व. परस्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/2/ग	1.180	1.180
15	सुगाय जौ रामजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/2/घ	0.410	0.410
		74/2	0.081	0.081
16	भाकू पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/1/1	0.200	0.200
		84/1/5	0.104	0.104
17	काल्या पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/1/2	0.200	0.200
		84/1/6	0.104	0.104
18	भीलू पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/1/3	0.200	0.200
		84/1/7	0.103	0.103



19	शिवराम पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/1/4	0.200	0.200
		84/1/8	0.103	0.103
20	काल्या पुत्री रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	71	0.016	0.016
21	भूते बे टोरे किसन कमलेश व. टोरे मगराय जिनाय पिता टोरे जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/2/क	0.686	0.686
		84/2/च	0.480	0.480
		75/3	0.050	0.050
22	झोरे व. चुन्नी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/2/ख	0.685	0.685
		84/2/ड	0.480	0.480
		75/1	0.150	0.150
23	अनिल, गोकुल, राजेश पुत्र साधु सुनीता सवति कैलो पुत्री साधु जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/2/ग	0.685	0.685
		84/2/घ	0.250	0.250
		75/2	0.050	0.050
24	पिखोला पिता भैया जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	39/1	1.552	0.852
		54/1	0.081	0.081
25	सुगरती पिता भैया जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	39/2	1.552	0.592
		54/2	0.081	0.081
26	गोरेलाल व. भंगी जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	29/6, 40/2	1.925	1.843
		62/1, 63/2	0.038	0.038
27	नापा रामू व. सेवाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	47/1	0.278	0.278
28	खोडे व. झिंगरिया, रनकू बे. शंकर मंगरया, बुद्ध व. शंकर मिरको मुरके फूल्ले पुत्री शंकर जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	76	0.299	0.299
29	रतिराम व. जिर्जा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	77	0.045	0.045
30	बिरजलाल व. पतिराम फूलचंद, लालचंद व. चिरौजी जाति लोहार सा.देह भूमिस्वामी	78	0.061	0.061
31	गंगाजी व. मादू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	79	0.053	0.053
32	फुसे पुत्री मंगल मंगो बे. मंगल केजू, तेजू पुत्र मंगल जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	80/1	0.051	0.051
		81	0.053	0.053
33	ढीमरा व. बोका जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	80/2	0.050	0.050
		8/4	0.830	0.830
34	मल्लू व. बाबूराव, रधिया बे. बाबूराव जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	53	0.170	0.170
		60/5		

35	सुनाय बे. मोग्या, सोमसा, बिलसू, रामसू पिता मोग्या शांता पुत्री मोग्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	7/3	0.959	0.959
36	मोग्या, सुखलाल, शेखलाल व. दौरा भगाय पुत्री दौरा, गोलमा, सालो, सकू पुत्री कालू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	56/1 57/2 60/7	0.154	0.154
37	मोग्या व. दौरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55, 56/2	0.109	0.109
38	रूपाय पिता दामजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	57/1 60/8	0.154	0.154
39	गोलमा व. कालू सकू शालो मिला पिता कालू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	58, 59/2, 60/2, 60/3	0.113	0.113
		7/2	2.877	2.877
40	भागू बे. दयालाल सुंदरी सुन्दा बुधिया पुत्री दयालाल सुनिल ना.बा.व. काडमू सरिता अनिता, ना.बापुत्री काडमू वली मा. मैना बे. काडमू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	59/1 61/2, 62/1 63/2	0.145	0.145
41	ओमकार, खेमराज व. सुखलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	62/3	0.035	0.035
42	प्रमिला जौ चाचू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	63/1 64/2	0.065	0.065
43	जगोती बाई जौ. रामलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	64/1 65/2 65/3	0.081	0.081
44	भद्वो व. मंगल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	65/1	0.101	0.101
		66	0.214	0.214
		83	0.206	0.206
45	भुतय, भूतनी, चिडडा व. बाज्या, भूना, जगोती भगू पिता बाज्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	5	1.894	1.894
		4/1/ग	1.600	0.953
46	सुखलाल व. दौरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	7/1	0.959	0.959
47	शेखलाल व. दौरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	7/4	0.959	0.959
48	रिंगू मुनीलाल व. ओझा, रामरती पुत्री ओझा जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	8/3	0.829	0.829

49	मल्लू पुत्र बाबूराव जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	4/1/ख	6.415	1.112
50	नजरसा व. भैया जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/1 8/1/1 9/6/1 60/9/1 60/10/1	0.773	0.773
		6/2/5	0.640	0.640
		6/2/8	0.680	0.680
51	रंजू व. भैया जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/2 8/1 9/6 60/9 60/10	0.937	0.937
		6/2/7 8/1 9/6 60/9 60/10	0.575	0.575
52	शांति पिता मल्लू जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/3 8/1 9/6/क 60/9 60/10	0.773	0.773
53	भैया व. नवलू जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/4 8/1 9/6 60/9 60/10	0.655	0.655
54	मल्लू पिता भैया जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/6	0.576	0.576
योग:-			56.688	48.512

1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, उक्त भूमि के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन होना जिस बाबत पृथक से कार्यवाही आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित की जावेगी। धारा-11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

पत्र क्रमांक 3-अ-82-2019-20-बगदरी-4951

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा-12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	बगदरी	16.209	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन सभाग क्रमांक 2, बैतूल	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

**अनुसूची-2**

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमिरवामी कृषक का नाग	खसरा नंबर	शूगि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे.में.
1	2	3	4	5
1	साहबलाल व. भैयालाल मंगली जग्गा जगोती पारबती सागरती व. भैयालाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	2/1	0.136	0.136
		3/1	0.093	0.093
		8	0.975	0.975
		11	0.866	0.866
		29/1	0.623	0.623
		13	0.364	0.364
2	सुगाय बे. शंकरलाल कचरया अमरचंद व. शंकरलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	2/2	0.137	0.137
		3/2	0.093	0.093
		29/2	0.624	0.624
3	मानकू बे. ठुन्नू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	2/3	0.045	0.045
		3/3	0.030	0.03
		29/3	0.207	0.207
4	सुन्दा बे. सुमरत मुन्नालाल व. सुमरत सरबती बिसमा कल्लो पुत्री सुमरत नान्हू श्यामलाल व. अजोब जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	4	0.202	0.202
		5	0.571	0.571
		28	2.047	2.047
5	झिंगोबाई बे. लक्ष्मण वामनराव, दिनेश व. लक्ष्मण भागरती सरस्वती यशोदा प्रमिला पिता लक्ष्मण जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	6	0.053	0.053
		14	0.041	0.041

6	शिवजी व. फगन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	7	1.619	1.619
7	बिसराम फत्तू व. भैया जगर्गो पिता भैया जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	10	0.882	0.882
		12	0.328	0.328
		16	0.356	0.356
8	साहबू व. विलचू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	32	2.080	2.08
9	दसरी पिता कोकसा जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	34/1	0.367	0.367
		36/2	0.033	0.033
		37/3	0.561	0.561
10	रामरती पिता कोकसा जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	34/2	0.383	0.383
		37/2	0.578	0.578
11	दसिया पिता कोकसा जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	34/3	0.367	0.367
		36/1	0.032	0.032
		37/1	0.561	0.561
12	नत्थू व. हजारी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	39	0.955	0.955
<b>योग:-</b>			<b>16.209</b>	<b>16.209</b>

1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

पत्र क्रमांक 4-अ-82-2019-20-बोरीकास-4949

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा-12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	बोरीकास	84.642	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

#### अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
1	2	3	4	5
1	ठीमरा धुडू व. भादू बैना, भागा पुत्री भादू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	2	1.124	1.124
		13	2.298	2.298
2	किशोरी व. नन्जू संजू व. कुवरलाल शिवकली निला रूपा ममता सविता पुत्री कुवरलाल गंगा बे. कुवरलाल जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	3	0.518	0.518
		14	1.214	1.214
3	देवो बे. गोरेलाल जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	4	2.132	2.132
4	गोधू व. तेजी इमरत दिलीप सुनील व. किसन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	8/1	0.144	0.144
5	भोलाराम व. दल्लू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	9	1.781	1.781
6	रामसा व. मंहगू संतरी पुत्री मंहगू कमला बे. मंहगू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	10	1.234	1.234

7	गोदू व तेजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	8/2	2.000	2.000
8	पांडया व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/1	0.206	0.206
		11/6	0.537	0.537
		20/3	0.607	0.607
9	साहबू साहबलाल मोग्या पांडा मोहन व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/3	0.206	0.206
		11/8	0.537	0.537
		20/2	0.607	0.607
10	मोहन व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/4	0.206	0.206
		11/9	0.537	0.537
		20/4	0.607	0.607
11	मोग्या व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/5	0.206	0.206
		11/10	0.537	0.537
		20/5	0.607	0.607
12	बिसराम पुत्र रंजिसा जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	12/1/1	0.866	0.866
13	मंदराज पुत्र रंजिसा जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	12/1/2	0.866	0.866
14	साहबलाल व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/2	0.206	0.206
		11/7	0.537	0.537
		20/1	0.607	0.607
15	दीवानजी गंगाराम व. शेखजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	12/2	1.732	1.732
16	संजू व. कुवरलाल गंगा बे. कुवरलाल शिवकली रूपा ममता सविता पिता कुवरलाल जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	15/1	1.413	1.413
17	इमरत, सुनिल दिलीप व. केशर जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	15/2	0.707	0.707
18	मनीराम व. मलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	16/1	1.731	1.731
19	ढीमरे व. रंगलाल जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	16/2	0.865	0.865
20	किशोर पुत्र मोदू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	16/3	0.874	0.874
21	प्यारेलाल व. सुबन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	18/1	0.507	0.507
22	पेकू व. सुबन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	18/2	0.507	0.507
23	झलकू व. सुबन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	18/3	0.507	0.507

24	करनू व. मिलाप जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	19	1.521	1.521
25	सोनी बे. मंसु जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/1	0.852	0.852
		60/1	0.359	0.359
		257/1	0.657	0.657
26	कावा व. मंसु जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/2	0.852	0.852
		60/2	0.360	0.360
		257/2	0.657	0.657
27	छत्तू व. मंसु जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/3	0.851	0.851
		60/3	0.359	0.359
		257/3	0.657	0.657
28	कलेश्या जौ श्यामराव जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/4	0.851	0.851
		60/4	0.359	0.359
		257/4	0.658	0.658
29	शांता जौ रामलाल जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/5	0.851	0.851
		60/5	0.360	0.360
		257/5	0.658	0.658
30	सुरजू व. मिलापसिंग जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	30/1	1.249	1.249
31	वाल्या देवसू व. चन्दू पांचो बे. पांडू सुन्दर सरवन व. दसन रधिया बे. दसन नहालो पिता पाचू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	30/2	1.248	1.248
		58/2	0.624	0.552
32	शंकर व. सुरजू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	32/1	1.004	1.004
		31/1	0.048	0.048
33	मुन्ना व. सुरजू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	31/2	0.049	0.049
		32/2	1.003	1.003
34	किसन सेवाराम व. मौजी मिठिया, मिटलो जुगनी जुगना जुग्गा व. मौजी मथरी बे. मौजी रिगा रामराव व. वक्कू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	34	4.144	4.144
35	मदन व. गुलाब लता पुत्री गुलाब जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	36	7.042	7.042
		38	2.164	2.164
36	कारो पिता नन्हेसिंग जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	37/1	2.835	2.835
37	भादा व. तेजी जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	37/2	1.418	1.418



38	माटूलाल नन्दा चन्दू राजकुमार मोती व. पूरन परसराम बलराम व. टेटू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	39/1	0.510	0.510
		261/3	0.431	0.431
39	मोग्या व. गेन्दसिंग छतरू बिरजू पिन्दू पिता रंजू सरस्वती पिता रंजू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	39/2	0.511	0.511
		261/2	0.431	0.431
40	कान्हू मानू व. दौलत जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	39/3	0.511	0.511
		261/1	0.437	0.437
41	हस्सो पिता जौहरी जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	40	1.092	1.092
42	फूलचंद व. शोभाराम जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	259/1	0.024	0.024
		260/3	0.601	0.601
43	सुमरत उमरलाल मिटठू व. दशरथ पाठे पिता दशरथ जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	259/2	0.025	0.025
		260/2	1.201	1.201
44	कुवरलाल व. शोभाराम जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	260/1	0.601	0.601
45	हस्सो पिता जौहरी प्रेमलाल सुमन उमन व. गोरे जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	39/4	0.511	0.511
		261/4	0.431	0.431
46	मोग्या व. लालसिंग जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	150/1	2.164	2.164
47	बिरजू उर्फ नत्थू व. मानसिंग जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	150/2	1.082	1.082
48	रामसू व. सोनू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	151/1	1.082	1.082
49	झामसिंग व. सोनू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	151/2	1.082	1.082
50	श्यामराव व. कन्हई जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	280/2	2.178	2.178
		268	1.845	1.520
51	मंगली बे. मंगलू चिककू बाकू मनकू मलकू व. मल्लू जाति ठाठिया सा.देह भूमिस्वामी	281/1	0.663	0.330
52	जंगली व. चीनी मोगे ओझे पुत्री चीनी जाति ठाठिया सा.देह भूमिस्वामी	281/2	0.664	0.330
53	गुलाबराव व. धुडल्या जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	279/1	0.551	0.120
54	पतीराम व. कारू जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	279/2	1.100	0.240
55	पिरथीलाल पुत्र धुडल्या जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	279/3	0.550	0.120

56	मंशाराम, श्यामराव, शंकरव. कन्हई कमलाबाई जौ नथ्या सा. बघोली इमला जौ बिसराम सा. खंडारा जगन्ती जौ सुखचन्द बजी बे. सुखनंदन शांतिलाल अमृतलाल भैयालाल ओमप्रकाश अकुश व. सुखनंदन जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	282	1.420	1.170
57	करनू करन व. मिलाप फुल्लो बाली पुत्री मिलाप जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	284	1.987	0.180
58	सददू व. फकीरा जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	276/1	0.354	0.105
59	सूरतलाल उर्फ सूरज व. मलजी जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	276/2	0.176	0.055
60	रमन, गेन्दू भोन्दू व. बुद्धु जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	276/3	0.353	0.110
61	मनीराम व. मलजी जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	276/4	0.177	0.055
62	रूखमा, पतोली, रूकिया, सुदिया, सम्मा, पुत्री दूर्शी गोविन्द, दीनू, पुत्र कान्हू समिया, समली पुत्री कान्हू, बस्तीलाल पुत्र गुडा, गुल्लो, शैली रगिया पुत्री गुंडा, सकरू व. गुंडा जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	285	2.529	0.160
63	मोग्या पुत्र गेन्दसिंग छतरू पुत्र रंजू, बिरजू पुत्र रंजू पिन्दू पुत्र रंजू सरस्वती, रंजू सायबू पुत्र नन्हू नंदा पुत्र नन्हू वाचे पुत्री नन्हू, मुन्ना पुत्र कुंजी कज्जे बे. कुंजी जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	286	1.959	0.182
64	गजेन्द्र पुत्र सुडे जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/1	0.245	0.076
65	अमरसा पुत्र ओझा, सुकिया पुत्री ओझा सरवन पुत्र भोजू मंगल पुत्र समलू, दिनेश पुत्र समलू, सकडी पुत्री समलू झनिया बे. समलू निर्मला पुत्री समलू मोती बे. मंदराज, रामकिशोर पुत्र मंदराज रामेश्वर पुत्र मंदराज संतोष पुत्र मंदराज, मालती पुत्री मंदराज कान्ती पुत्री मंदराज, सुनीता पुत्री मंदराज. जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/2	0.736	0.140
66	गिरवन, सुखनंदन, पुत्र लक्ष्मण अमर पुत्र सुन्दरलाल रतन, पुत्र छतन, रामरती पुत्री छतन जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी	287/3	0.736	0.140
67	वाकू पुत्र मुरत अलसु पुत्र मुरत जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/4	0.735	0.140

68	दसरू पुत्र सूडे जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/5	0.245	0.076
69	जबरसिंग जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/6	0.245	0.076
70	पाखी, भीमा, मुलाजी पुत्री गंजन विमला पुत्री गंजन जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	288	0.890	0.120
71	कम्मो बेवा जंगल, कसिया, दसिया, मुनिया पुत्री जंगल जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	269/2	0.299	0.179
72	साहबलाल जगोती, कस्तूरी, रदू पुत्री साधुराम जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	269/1	0.300	0.180
73	अमरसा पुत्र ओझा सुकिया पुत्री ओझा जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी	273/1	1.457	0.220
74	समोती बेवा मदराज, संतोष, रामकिशन, रामेश्वर, पुत्र मदराज, अनिल, दीनू व समलू निर्मला पुत्री समलू, सकड़ी, झलिया बे. समलू सरवन, शंभु पुत्र भोजू जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	273/2	1.457	0.220
75	झनकी, मंगो, सकरी, पिता रूपजी उदेसिंग, माडू पुत्र रूपसा मनको रूपसा पिन्दू गोपाल, श्यामजी पुत्र रतन सागो पुत्री रतन मंकर पुत्र भैजू, रक्खु पुत्री भैजू लता पुत्री गुलाब, मदन पुत्र गुलाब जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	275	0.934	0.105
<b>योग:-</b>			<b>100.972</b>	<b>84.642</b>

1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें आंशिक व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है। धारा-11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 16-अ-82-2019-20-धनोरी-5034

बैतूल, दिनांक 29/30 मई 2020

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	धनोरी	3.305	घोघरी मध्यम परियोजना

**अनुसूची - 2  
( प्रभावित धारको की सूची )**

क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	ग्यानदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी, सा.देह.भू-स्वामी	27/1	0.846	0.846
2	बलदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	27/2	0.364	0.364
3	रामचन्द्र पुत्र वासुदेव जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	27/3	0.465	0.465
4	रघुनाथ पुत्र चिन्धु, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	25/1	0.384	0.384
		22/1	0.089	0.089
5	सया,सुमन,यशोदा,देवकू पुत्री गेन्द्र, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	25/2	0.381	0.381
		22/2	0.089	0.089
6	गया बे. पंढरी, गुलाबराव,साहेबराव,पांडुरंग,सुमन,पंढरी, सुनिता,मुन्नी,निर्मला पिता पंढरी, चिन्धी पुत्री किसना, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	63/1	0.026	0.026
7	दिवाकर,कमलाकर,सुधाकर,यशोदा,सकुन,कौशी,मीना, पिता गणपति जाति कुंबी, सा.देह. भू-स्वामी	63/2	0.305	0.305
8	व्यंकटी उर्फ व्यंकटराव पुत्री दाजीबा, जाति कुंबी, सा.देह. भू-स्वामी	63/3	0.356	0.356
	योग:-		3.305	3.305

(2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 28-अ-82-2019-20-बिनाखी-5037

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	बिनाखी	0.312	वलनी जलाशय

### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	ओझा व. बाबू, इमली पिता बाबू, जाति गोंड, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	12/2	4.503	0.312
	<b>कुल योग :-</b>	<b>1</b>	<b>4.503</b>	<b>0.312</b>

1. चूंकि वलनी जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 8-अ-82-2019-20-गुढ़ी-5039

चूँकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (MO५१०)	बैतूल	गुढ़ी	7.400	घोघरी मध्यम परियोजना

**अनुसूची- 2**

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	जगन व. गंजू, जाति गोंड, सा.देह, भू-स्वामी	55/1	4.251	0.324
2	खमिया पुत्री गोमा, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	58/1	1.618	0.157
3	देवलाल पिता चंदू पता बैतूल सा.देह भू-स्वामी	58/2	1.611	0.158
4	गुलाब, नजर व. फगन, समति, फुल्लो पुत्री फगन जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	59/1	1.343	0.178
5	सुनीता पुत्री जग्गू, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	59/2	1.611	0.178
6	श्रीराम,सीताराम व. मुकिन्दराव,लक्ष्मी,जयवंती कला, सकुन, सुशीला, जाति गाडरी, पता सा.देह,धनोरी, भू-स्वामी मुकिन्दराव,नान्ही बे.कल्लु, गित्तू,महेन्द्र व. कल्लू, ललता,संगीता,मनीषा,पुनम,सावला,मनीष पिता कल्लू,जाति गाडरी, सा.देह,भू-स्वामी	72/2	3.128	0.218
7	शेखनसीर पिता शेख खादिम, शेख रफीक पिता शेख खादिम, बिलकिस पिता शेख खादिम, खुर्शीद पिता शेख खादिम, शेख नसीर पिता शेख विराम, शेखजफर पिता शेख खादिम, शेख वहाब पिता शेख विराम अनबीशेखकदीर पिता शेखविराम जाति मुसलमान, पता बैतूल, सा.देह भू-स्वामी	184	2.647	0.049

8	मु. चैती, बाजी, सुमन, कमला, इमला पुत्री बाजी झब्बा व. सिरपत, जाति तेली, पता सा.धनोरा भू-स्वामी	191	9.862	3.901
9	किशोरी पिता तेजी, प्रहलाद पिता तेजी, फुल्लो पुत्री तेजी, चुन्नी पिता गणपत, चैती बे. बाजीलाल जाति तेली पता बैतूल सा.देह भू-स्वामी	192	13.011	1.465
		193	0.125	0.125
		194	0.186	0.186
10	कानूलाल, आनंदराव व. मानसिंग, खब्बू फुला, रामकला पिता मानसिंग, मैनी बे. मानसिंग, जाति गोंड, सा.देह. भू-स्वामी	265/1	2.257	0.113
11	मदन, अमरू व. असीला, जिवली बे. टिब्बू, मंगल, जुग्गू, जगदीश व. टिब्बू जाति गोंड, सा.देह. भू-स्वामी	270	2.962	0.307
12	गंगा बे. मंगल, गुल्लू पिता मंगल, वत्सला बेवा गुलबू, फूलाजी पिता ढीमरा, ज्योति पुत्री गुलबू, रुमासिंग पिता ढीमरा, सोनाजी पिता ढीमरा, मुनिया, चुनिया पुत्री ढीमरा, नन्हू पिता जादू, मूली, नान्ही, हसलो पुत्री जादू, सुमित्रा बेवा मनोहरी, दिलीप, राजकुमार, पिता मनोहरी, रामवती, मंधा, पुत्री मनोहरी, माटू पिता रंगू, जाति गोंड पता सा.देह. भू-स्वामी	271	3.339	0.041
	योग:-		47.951	7.400

(2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 5-अ-82-2019-20-वलनी-5041

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	वलनी	2.745	वलनी जलाशय

### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	बिसराम व.मलकाराम जाति गोंड सा.देह	233/2	1.646	0.120
2	धनराज पिता मलकाराम जाति गोंड सा.देह	233/3	2.000	0.145
3	कोमा पिता मलकाराम, जाति गोंड सा.देह	233/4	3.000	0.095
4	साहेबराव वल्द संतोषराव, पता सा.देह भूमि स्वामी भू-राजस्व	251/2	2.427	0.265
5	हरि वल्द तेजीलाल, चंदा पिता तेजीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूस्वामी	201/1	5.107	0.036
6	हरि वल्द तेजीलाल, चिन्धी पिता तेजीलाल सा.देह नि. ग्राम भू-स्वामी	200	0.057	0.020
7	नीलू पिता पंजाबराव, संजय वल्द वामनराव, इन्दु वल्द नरसिंगराव, रेशमी पिता वामनराव, यशवराव वल्द वामनराव केशोराव वल्द नरसिंगराव, ज्योति वल्द वामनराव, आनंदराव वल्द नरसिंगराव, नयना पिता पंजाबराव, हरिश वल्द पंजाबराव, उज्वला पिता वामनराव अजय पिता पंजाबराव संगीता पिता पंजाबराव, दीपा पिता वामनराव, अरूण पिता पंजाबराव शीला पिता पंजाबराव कविता पिता पंजाबराव जाति मराठा भू-स्वामी	237	22.561	0.825



8	कमला बेवा पंजाबराव, भावना पिता पंजाबराव, रविन्द्र वल्द पंजाबराव, ललित वल्द पंजाबराव कुंबी सा.देह	59/1	2.382	0.223
9	कृष्णराव वल्द गेंदू जाति कुंबी भूस्वामी	59/2	2.381	0.223
10	कृष्णराव वल्द गेंदू उर्मिला पिता गेंदू आशा पिता गेंदू कमला बेवा पंजाबराव, रविन्द्र, ललित वल्द पंजाबराव जाति कुंबी भूस्वामी	57/1	2.574	0.230
		79	0.109	0.041
11	पढरी वल्द फुन्दू सकु, सुशीला, निर्मला पिता फुन्दू कुम्बी सा.देह भूस्वामी	57/2	2.400	0.235
12	जुगना बेवा ओझीलाल, ब्रजलाल, राजेश, सूरजलाल, हरजीलाल वल्द ओझीलाल, कला पिता ओझीलाल जाति गोंड भू-स्वामी	36/2	2.663	0.016
13	नत्थू नथन वल्द पुगन्सा जाति गोंड नि. ग्राम भू-स्वामी	238/1	1.939	0.030
	<b>कुल योग :-</b>	<b>14</b>	<b>51.990</b>	<b>2.745</b>

1. चूंकि वलनी जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 15-अ-82-2019-20-पाण्डोल-5043

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	पाण्डोल	0.674	उमरी-पाण्डोल स्टोरेज जलाशय

### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	मुन्नीबाई जौजे फुल्लु, जाति तेली, पता सा. देह	42/2	1.454	0.389
2	संतोष वल्द वसु, जाति तेली, पता सा. देह	42/3	0.405	0.285
	<b>कुल योग :-</b>	<b>2</b>	<b>1.859</b>	<b>0.674</b>

1. चूंकि उमरी-पाण्डोल स्टोरेज जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 29-अ-82-2019-20-रगड़गांव-5045

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	रगड़गांव	0.178	वलनी जलाशय

### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	बनुबाई बेवा सिंगा, चिरोंजी, सुभाष व. सिंगा, मंजू पिता सिंगा, रेखा पिता सिंगा, जाति गोंड, भू-स्वामी	128/1	5.157	0.089
		125	0.700	0.089
	<b>कुल योग :-</b>	<b>2</b>	<b>5.857</b>	<b>0.178</b>

1. चूंकि वलनी जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 17-अ-82-2019-20-टिपनापुर-5047

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र०)	आठनेर	टिपनापुर	13.161	घोघरी मध्यम परियोजना

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	नन्धू,सित्तू व. गणपति, जाति कुंबी, सा.जावरा भू-स्वामी	165 164/2	1.558 1.000	1.558 0.650
2	नारायण,चुन्नीलाल,शंकर व. नन्धू, चंपाबाई बे. नन्धू, दुरपताबाई पिता नन्धू, जाति मेहरा, पता सा.देह भू-स्वामी	131	0.277	0.277
3	मंहगीलाल व. इमरत जाति मेहरा, पता सा.देह भू-स्वामी	132	2.023	1.295
4	कमलू जौ.किशोरी जाति मेहरा, पता सा.पांडुर्णा भू-स्वामी	129/3	1.000	1.000
5	रामदास व. मुन्नालाल जाति, मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	127	0.971	0.971
6	मनोहर,कमलेश व. मुन्नालाल जाति मेहरा सा.देह भू-स्वामी	126	0.972	0.972
7	गोमा व. सुकलाल, जाति कोरकु, सा.देह भू-स्वामी	133	0.672	0.202
8	श्रवण व. किशन,अर्चना जौ. जगदीश, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	124	2.003	2.003
9	काशी जौ. साहेबलाल, जाति मेहरा सा.देह भू-स्वामी	123	1.112	1.112
10	रामजू, मिश्री,झींगर,साहेबलाल,नोखे व. अन्नु, रंजना, साहेबा, रामदुलारी,रामप्यारी पिता अन्नु, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	122	1.020	1.020
11	रामजू,मिश्री,झींगर,साहेबलाल,नोखे व. अन्नु, रंजना,साहेबा, रामप्यारी पिता अन्नु, दिनेश व. बिरजू, चिन्धी सरू पिता बिरजू जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	121	1.049	1.049
12	मिश्री व. अन्नु, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	140	2.023	1.052
	योग:-		15.680	13.161

(2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है ।

क्रमांक 14-अ-82-2019-20-खोदरी-5049

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	खोदरी	0.445	खोदरी स्टोरेज जलाशय

### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	करमचंद वल्द बोब्या, जाति लोहार, सा. देह	198	0.445	0.445
	<b>कुल योग :-</b>	<b>1</b>	<b>0.445</b>	<b>0.445</b>

1. चूंकि खोदरी स्टोरेज जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 17-अ-82-2019-20-जामठी सवासन-5051

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग / क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	जामठी सवासन	3.869	वलनी जलाशय

### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	शान्ता बेवा नारायण, पांडुरंग, दुर्गादास, अनिल वल्द नारायण, गीता, सुमन पिता नारायण, कुन्बी, सा. गुजरमाल	499	2.869	2.869
		487/1	1.000	1.000
	कुल योग :-	2	3.869	3.869

1. चूंकि वलनी जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 07-अ-82-2019-20-ढोढरामोहाड़-5053

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	ढोढरामोहाड़	14.114	घोघरी मध्यम परियोजना

**अनुसूची - 2  
( प्रभावित धारको की सूची )**

क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०में
1	2	3	4	5
1	मयाराम पिता रंजू,प्रेमलाल पिता रंजू,संजू,जयराम,सुशीला, सुनील,रुशीला पिता जयराम, समीरा ना.बा. जयराम, फर्घुनी संरक्षक भाई संजू, मीरा बे. सेवाराम,संदीप,सावित्री पिता सेवाराम, सा.देह, भू-स्वामी	61	2.096	2.096
2	गंगा बे. गेन्दया, रामराव, विटठलराव पिता गेन्दया, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	59	1.975	1.975
3	पान्डू पिता तेजी, भूरो,भागा,अमरुती पिता गोन्दू, सुखराम,सुकु पिता डोमू, तुकाराम पिता बुधसिंग, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	56/1	24.680	3.680
4	बिरु,नारु,सुरजू,बिरजू,मिल्लो,सोमती,कमला पिता नन्हू, दमला बे. नन्हू, बिहारी, गुडडो पिता नजरसिंग, लक्ष्मण,रामकली,सुमरती,कम्मों पिता गोरख	180	0.202	0.202
5	रामकली जी.किसनलाल जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	88	0.397	0.397
6	नरेश पिता सुखदयाल, कुंती बे. सुखदयाल, अशोक,विनोद,सरोज,पुष्पा पिता सुखदयाल, परसराम, रामनाथ,कन्हैयालाल पिता रामदीन	174	5.767	5.767
	योग:-		35.117	14.114

(2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मुलताई जिला बैतूल (राजस्व) मध्यप्रदेश

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

प्र. क्र. 8-अ-82-19-20-मौजा-सहनगांव-2957

मुलताई, दिनांक 31 अक्टूबर 2019

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित बी. पी. टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा.

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	मुलताई	सहनगांव, प.ह.नं.	192	0.002
			196	0.005
			199	0.023
			203	0.006
			198/1	0.001
			204	0.006
			209/4	0.011
			211/1	0.009
			234	0.027
			220	0.002
			224/1	0.003
			224/2	0.004
			222	0.008
			372	0.012
योग ...				0.119



प्र. क्र. 11-अ-82-19-20-मौजा-खापा सिरकुंड-2959

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित बी. पी. टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए,

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा.

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	मुलताई	खापा सिरकुंड प.ह.नं. 100	188/1	0.019
			179/2	0.015
			188/2	0.016
			179/3	0.037
			179/4	0.022
			189/1	0.015
			191/1	0.011
			193/1	0.010
			193/2	0.012
			195/2	0.013
			195/3	0.009
			195/4	0.009
			196	0.015
			108	0.001
			201/1	0.001
			201/2	0.001
			202	0.001
147	0.002			
113	0.003			
112/3	0.017			
112/4	0.008			
योग . . .				0.244

प्र. क्र. 10-अ-82-19-20-मौजा-बिसनूर-2958

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित बी. पी. टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा.

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	मुलताई	बिसनूर, प.ह.नं. 119	784/1	0.010
			780	0.009
			781	0.003
			782/1	0.008
			782/2	0.010
			768	0.014
			767	0.009
			758	0.006
			764	0.001
			761/1	0.012
			760/1	0.006
			761/2	0.010
			750/2	0.009
			751/1	0.010
			750/3	0.021
			750/4	0.023
			751/2	0.010
676/2	0.009			

योग . . . 0.208

प्र. क्र. 12-अ-82-19-20-मौजा-पंचधार-2960

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम पंचधार तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित इटिक वेल से राइजिंग मेन एवं गोविंटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा.

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	मुलताई	पंचधार, प.ह.नं. 118	294/1	0.007
			294/5	0.008
			294/9	0.018
			294/10	0.011
			295/6	0.023
			285	0.055
			284	0.010
			282	0.035
			302/1	0.007
			327/1/1	0.007
			305/1/1	0.012
			327/1/2	0.006
			326	0.003
			327/3	0.063
			331/6	0.024
			331/5	0.019
			331/4	0.023
154/1	0.070			
153/2	0.032			
151	0.050			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			159/1	0.008
			159/3	0.010
			159/2	0.016
			159/8	0.021
			160/1	0.016
			160/2	0.012
			158/1	0.046
			166/1	0.030
			166/5	0.084
			150	0.012
			148	0.018
			136/4	0.004
			136/6	0.002
			70/4	0.004
			70/6	0.008
			70/3	0.017
			74/3	0.003
			74/1	0.007
			73/3	0.009
			71/1	0.009
			73/2	0.009
			73/1	0.009
			68	0.014
			62/2	0.007
			62/1	0.008
			62/9	0.012
			62/5	0.015
			62/3	0.009
			योग	0.902

प्र. क्र. 9-अ-82-18-19-मौजा-सिरडी-2956

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित बी. पी. टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाइप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा.

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	मुलताई	सिरडी, प.ह.नं.	98	0.009
			97	0.046
			96	0.009
			95/1	0.011
			94/1	0.017
			94/3	0.011
			20	0.011
			21/1	0.019
			21/2	0.006
			22	0.003
			62	0.009
			73	0.006
			72	0.005
			64	0.003
			54/3	0.011
			54/4	0.017
			57/2	0.014
			54/2	0.010
			56/1	0.005
			56/2	0.005
56/3	0.005			

योग . . . 0.235

सी. एल. चनाप, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 जून 2020

क्रमांक 178-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा b एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 12-5/2014/सात/शा. 2ए भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत एवं अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	करही	0.400	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 रीवा (म. प्र.).	रीवा जिले के अन्तर्गत गुप्ता पेट्रोल पम्प से मण्डी पहुंच मार्ग व्हाया चिन्मय आश्रम की प्रशासकीय स्वीकृत के परिपालन में.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत कुर्रे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**राजस्व विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 4 जून 2020

क्रमांक एफ. 15-8/2019/सात/शाखा-7. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके नीचे वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों (मजरा) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें :-

**अनुसूची**

तहसील: जीरन

जिला: नीमच

क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गाँवों के नाम	अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
01.	01. मूल ग्राम- घसूण्डी जागीर 02. नवीन ग्राम- बरकटी प0ह0नं0 10	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला- नीमच
02.	01. मूल ग्राम- घसूण्डी जागीर 02. नवीन ग्राम- भीलों का खेडा प0ह0नं0 10	
03.	01. मूल ग्राम- कुचड़ौद 02. नवीन ग्राम- नयाखेडा प0ह0नं0 23	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 4 जून 2020

क्र. एफ-15-8-2019-सात-शा. 7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-8-2019-सात-शा. 7, दिनांक 4 जून 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.**

Bhopal, the 4th June 2020

No. F. 15-08/2019/VII/Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959, (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:-

## Schedule

Tahsil: Jeeran

District: Neemuch

Serial No.	Name of village(s) with P.C.No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01.	01. Original Village- Ghasundi Jageer 02. New Village- Barkati P.C.No. 10	Superintendent of Land Records, (regular) District – Neemuch
02.	01. Original Village- Ghasundi Jageer 02. New Village- Bhilo Ka Kheda P.C.No. 10	
03.	01. Original Village- Kuchrod 02. New Village- Naya Kheda P.C.No. 23	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

शुद्धि पत्र

क्रमांक 6555-भू-अर्जन-2020

राजगढ़, दिनांक 9 जून 2020

प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2018-19 पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब से प्रभावित ग्राम सांका जागीर की भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27-09-2019 को कराया गया था। उक्त अधिसूचित अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. एवं क्षेत्रफल में विसंगतियां पाई गईं, जिनका नियमानुसार दुरस्तीकरण कराया गया। उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

स.क.	धारा 19 की अधिसूचना का स.क.	पूर्वोक्त अधिसूचना धारा-19 में अंकित (संशोधन/विलोपन योग्य)			वर्तमान संशोधित/अद्यतीकृत		
		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हे.)	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हे.)
1	15	भंवरया पिता नाथू जाति भोई नि. ग्राम भू स्वामी	208/2	0.654	धारा 115 के तहत रिकार्ड दुरुस्त होने पर सर्वे नं. 208/2 विलोपित किया गया है। इस कारण सर्वे नम्बर 208/2 धारा 19 से हटाया जाता है।		
2	61	मेहरबानसिंह पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू स्वामी	104/1	0.333	मेहरबानसिंह पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू स्वामी	104/1	0.233
3	73	सरदार बाई, रेखा बाई पुत्री कैलाश जाति राव नि.ग्रा. भू स्वामी	65/2/1	0.652	सरदार बाई, रेखा बाई पुत्री कैलाश जाति नाथ नि.ग्रा. भू स्वामी	65/2/1	0.652
4	146	सीताराम पिता जगन्नाथ जाति गाडरी नि. ग्रा. भू स्वामी	196/4	1.213	धारा 115 के तहत रिकार्ड दुरुस्त होने पर सर्वे नं. 196/4 विलोपित किया गया है। इस कारण सर्वे नम्बर 196/4 धारा 19 से हटाया जाता है।		

शेष अधिसूचना पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.



कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव  
राजस्व विभाग मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 235-प्रका./भू-अर्जन/2020-21

रीवा, दिनांक 11 जून 2020

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	सेमरिया	खरहरी	188	0.150	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना जिला सतना (म0प्र0)	पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
			190	0.125		
			193	0.069		
			192	0.069		
			200	0.021		
			199	0.089		
			203	0.140		
			207	0.081		
			206	0.081		
			226	0.127		
			227	0.098		
			228	0.095		
			कुल योग	1.145 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 237-प्रका./भू-अर्जन/2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	सेमरिया	बड़ागांव	161	0.138	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर रांगाग कमांक 2 सतना जिला सतना (म0प्र0)	पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
			162	0.142		
			167	0.190		
			168	0.170		
			686	0.162		
			711	0.058		
			710	0.020		
			709	0.092		
			713	0.324		
			708	0.162		
			707	0.012		
			687	0.022		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 239-प्रका./भू-अर्जन/2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	निरसिंहपुर	मेंहुती	3107	0.120	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग कमांक 2 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर के निर्माण हेतु।
			3013	0.140		
			3000	0.010		
			2100	0.045		
			2099	0.045		
			3010	0.096		
			2995	0.080		
			2993	0.080		
			2137	0.040		
			2136	0.016		
			2135	0.020		
			2808	0.016		
			2763	0.024		
			3011	0.110		
			2102	0.050		
			2718	0.016		
			2762	0.062		
2761	0.084					

		2749	0.410
		3012	0.080
		3118	0.028
		2108/3/ख	0.016
		2108/2/ख	0.034
		3096/3	0.020
		कुल योग	1.642 हेक्टर

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 241-प्रका./भू-अर्जन/2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	अबेर	253/1/1/2	0.020	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग कमांक 2 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा नहर के निर्माण हेतु।
			253/2/2	0.030		
			2478/2	0.032		
			252/3क/2	0.043		
			252/4/2	0.012		
			252/1/2	0.078		
			252/2	0.023		
			252/6	0.023		
			252/8	0.023		
			252/4/1	0.011		
			252/3क/1	0.012		
			1489	0.097		
			3419/2	0.052		
			1960	0.012		
			1961	0.012		
			574/1	0.020		
			574/2	0.093		
			574/3	0.121		
			574/4	0.073		
			2841	0.008		
2119	0.032					
1625/1/ख	0.045					
335/3	0.040					
2873/1/2	0.012					
		कुल योग	0.924 हेक्टर			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 243-प्रका./भू-अर्जन/2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	समरिया	बेला	38	0.160	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना जिला सतना (म0प्र0)	पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
			39	0.069		
			40/1	0.101		
			40/2	0.071		
			41	0.010		
			45/1	0.101		
			45/2	0.069		
			44	0.029		
			57	0.137		
			52	0.014		
			55	0.251		
			64/4ख	0.267		
			141	0.045		
			264	0.065		
			134/1	0.101		
			134/2	0.081		
			136	0.138		
			199	0.138		
			200	0.253		
			201	0.010		
215	0.117					
218	0.060					
217	0.085					
225	0.129					
226	0.016					
232	0.154					
231	0.065					
234	0.008					
230	0.045					

			287	0.150		
			288	0.057		
			289	0.053		
			312	0.101		
			313	0.016		
			315	0.130		
			<b>कुल योग</b>	<b>3.296 हेक्टर</b>		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 245-प्रका./भू-अर्जन/2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	सेमरिया	तिघरा	805	0.100	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग कमांक 2 सतना जिला सतना (म0प्र0)	पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
			806	0.162		
			809	0.044		
			810	0.048		
			811	0.080		
			873	0.080		
			823	0.084		
			847	0.048		
			846	0.096		
			845	0.010		
			849	0.070		
			850	0.070		
			851	0.140		
			391	0.010		
			392	0.012		
			395	0.086		
			382	0.044		
			300	0.070		
			378	0.052		
			377	0.056		
			362	0.120		
			264	0.096		
			364	0.096		
			299	0.036		
260	0.076					
261	0.088					
282	0.132					
239	0.084					
240	0.010					
			<b>कुल योग</b>	<b>2.10 हेक्टर</b>		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 247-प्रका./भू-अर्जन/2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(6) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	सेमरिया	लैन बधरी	121	0.123	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना जिला सतना (म0प्र0)	पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
			122	0.016		
			116	0.069		
			114	0.065		
			112	0.055		
			123	0.010		
			111	0.086		
			109	0.136		
			108	0.007		
			106	0.008		
			97	0.068		
			98	0.010		
			464	0.067		
			95	0.065		
			91	0.190		
			43	0.024		
			65	0.089		
			66	0.080		
			67	0.057		
			68	0.069		
			69	0.040		
			573	0.073		
			572	0.089		
570	0.065					
569	0.060					
386	0.003					
566	0.053					
563	0.085					
549	0.020					
557	0.043					
484	0.178					
			485	0.020		
			478	0.059		
			471	0.121		
			472	0.012		
			470	0.049		
			467	0.034		
			463	0.067		
			कुल योग	2.365 हेक्टेयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2020

क्र. C-1235.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-5500-एक-7-3-2019 भाग-1, जबलपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं रजिस्ट्री में शनिवार कार्यदिवस दिनांक 28 मार्च 2020 का अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में शनिवार अकार्यदिवस दिनांक 5 सितम्बर 2020 कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 मार्च 2020

क्र. A-791-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री राजीव कृष्ण जोशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2015 को अवकाश लेखे में पूर्व में शेष बचे 152 (एक सौ बावन दिवस) दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-1077, दिनांक 15 फरवरी 2017 द्वारा प्रदान की गई थी। श्री जोशी के अवकाश लेखा में संशोधन उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत 43 (तैंतालीस दिवस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति और प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. D-1963-दो-2-49-2013.—श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 26 फरवरी से 7 मार्च 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1965-दो-3-75-2009.—श्री बी. एस. भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायालय, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1967-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 29 जनवरी 2020 का, दिनांक 1 फरवरी 2020 का, दिनांक 5 फरवरी 2020 का, दिनांक 8 फरवरी 2020 का, दिनांक 12 फरवरी 2020 का, दिनांक 22 फरवरी 2020 का तथा दिनांक 26 फरवरी 2020 का कुल सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 18 मई 2020

क्र. A-1007-दो-2-67-2018.—श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 26 से 28 मार्च 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 मार्च 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. दीक्षित, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1009-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 3 मार्च 2020 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 3 से 4 मार्च 2020 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1011-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 18 मार्च 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1013-दो-2-47-2019.—श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 4 से 7 मार्च 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 11 मार्च 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1015-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 24 फरवरी से 6 मार्च 2020 तक, बारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2020

क्र. D-2011-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब (एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री नागपुरे को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 160
अर्द्धवेतन अवकाश	... 140

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=160 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii)

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश= \_\_\_\_\_ X 140  
के एवज में नगद 30 भुगतान.

क्र. D-2013-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री प्रदीप कुमार व्यास, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब (एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक),



दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री व्यास को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 218
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 82

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=218 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii)

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा  
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश=—————X 82  
के एवज में नगद 30  
भुगतान.

क्र. D-2015-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री दीक्षित को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 217
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 83

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii)

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा  
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश=—————X 83  
के एवज में नगद 30  
भुगतान.

क्र. D-2017-दो-2-45-2019.—श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 18 से 23 मई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मई 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 मई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 मई 2020

क्र. C-1318-दो-2-74-2017.—श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को 18 से 23 मई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मई 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 मई 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1322-दो-2-13-2015.—श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 18 से 21 मार्च 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1329-दो-2-28-2019.—श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 12 से 15 मई 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 21 मई 2020

क्र. A-1052-दो-2-23-2017.—श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 29 अप्रैल से 3 मई 2020 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1055-दो-2-41-2014.—श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 3 मार्च 2020 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.